न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 151 / 2022 दायर दिनाँक 29.04.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. कुम्भाराम पुत्र किशनाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी पालोट, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 21.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी ग्राम पालोट का स्थायी निवासी है, जहां उसकी चल व अचल सम्पति अवस्थित है तथा वादी कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है।

यह है कि वादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सं0 205 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 206 रकबा 8.7600 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम पालोट, पटवार हल्का पालोट, भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन करते वक्त वादी की संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बरान की भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम शिवकरण अर्थात कुम्भाराम पुत्र शिवकरण दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादी के पिता का नाम शिवकरण अंकित हो रखा है, जबकि वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड आदि में वादी के पिता का नाम किशनाराम अंकित है जो वादी को वास्तविक व सही नाम है।

यह है कि वादी की निम्न प्रार्थना है कि :–

यह है कि के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 205 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 206 रकबा 8.7600 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम पालोट में वादी के पिता का नाम शिवकरण के स्थान पर किशनाराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाति है।

विद्वान अधिवक्ता [illegible] बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का नि[illegible] विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया [illegible] रिकार्ड [illegible] अवलोकन किया

अतः पत्राव[illegible] विवेचन, वाद वादी गया। तत्सम्बन्धी विधि [illegible] डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

—: आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 205 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 206 रकबा 8.7600 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम पालोट वादी के पिता का नाम शिवकरण के स्थान पर किशनाराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **21.07..2022** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **151 / 2022** दायर दिनाँक **29.04.2022**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. कुम्भाराम पुत्र किशनाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी पालोट, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **21.07.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी एडवोकेट वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 205 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 206 रकबा 8.7600 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम पालोट वादी के पिता का नाम शिवकरण के स्थान पर किशनाराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।नीज..........—.......... मुबलिंग. ....—................ बाबत......................—................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.... ......—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.07.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो कि डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:35:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner